09-12-22

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रवण दत्तक पुत्र प्रभातीलाल बनाम औमप्रकाश वगै0

किस्म मुकदमा:– [redacted] विविध प्रा० पत्र मुकदमा नम्बर:– 90/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09.12.2022	प्रार्थी वकील श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 10.01.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र / प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

दिलीप सिंह

अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.13 12:11:49 IST
Reason: SelfAttested